न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–04/2011 (2011/00020) प्रार्थना पत्र

उनवान

1–रामपाल पिता बक्षु हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–जीवण पिता उदा व्यास निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–बाबु पिता गिरधारी हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन – प्रार्थी अधिवक्ता
2. मनीष दाधीच – विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–22.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित साबिक आराजियात खाता संख्या 692 में अकिंत आराजी संख्या 1820/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व खाता संख्या 950 में अकिंत आराजी संख्या 1820/7 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमिया प्रार्थी के नाम दर्ज होकर प्रार्थी ही काबिज चला आ रहा है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 की एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है। प्रार्थी द्वारा साबिक आराजी संख्या 1820/2क रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि से 18 बिस्वा भूमि को दिनांक 16.02.1996 को आबादी हेतु समंपरिवर्तन करवाई तथा शेष 6 बिस्वा भूमि के नम्बर 1820/2क मीन कायम किये गये जिसका इन्द्राज पुरानी जमाबन्दी में लगा हुआ है। तहसील रायपुर का भू प्रबन्ध होने से ग्राम बोराणा का भू प्रबन्ध हुआ जिससे प्रार्थी की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर कायम किए गये। प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 1820/2क व 1820/7 दोनो अलग अलग जगह थी परन्तु भु प्रबन्ध विभाग अधिकारियो ने बिना किसी विधिक आदेश के भुप्रबन्ध के दौरान नये नम्बर कायम करते समय प्रार्थी की पुरानी आराजियात के नवीन नम्बरो को साबिक आराजी संख्या 1820/7 व विपक्षी बाबु हरिजन की जगह फिट कर दिए जो गलत है। प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 1829/2क साबिक नक्शे में साबिक आराजी संख्या 1820/10 के दक्षिण पश्चिम में फीट थी व आराजी संख्या 1820/7 साबिक नक्शे में आराजी संख्या 1820/8 के पूर्व व आराजी संख्या 1820/3 के पश्चिम में फीट थी। भू प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा साबिक आराजी संख्या 1820/7 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के नवीन नम्बर कायम करते वक्त 1820/2क मीन व 1820/7 को मिलाते हुए नवीन नम्बर 3997 रकबा 0.61 है0 व आराजी संख्या 4000 रकबा 0.15 है0 कायम किए गए व 1820/2क रकबा 18 बिस्वा गे.मु. आबादी के 3995 रकबा 0.19 है0 कायम किए गए जबकि प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 1820/7 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा पुराने नक्शे में पुरा एक ही रकबा था तथा नवीन नक्शे में भी आराजी संख्या 3997 रकबा 0.61 है0 मे से 0.56 है0 व आराजी संख्या 4000 रकबा 0.15 है0 कुल 0.71 है0 एक ही जगह अकिंत होना चाहिए थी परन्तु ... संख्या 4000 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:56:32 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 2 बाबु हरिजन की आराजी संख्या 4002 के दक्षिण में फिट कर दिया जो गलत होकर अवैध है। इसी तरह प्रार्थी की साबिक आराजी 1820क रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के नवीन नम्बर 3995 रकबा 0.19 है0 गे.मु.आबादी व आराजी संख्या 4005 रकबा 0.07 है0 कायम किए जाने चाहिए थे परन्तु नवीन आराजी संख्या 3995 को नवीन नक्शे में उनके मौके अनुरूप फिट नही कर साबिक आराजी संख्या 1820/7 की जगह फीट कर दिया तथा शेष रकबा 0.07 है0 के नवीन नम्बर 4005 साबिक आराजी संख्या 1820/2क के बनाने चाहिए थे। अत श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 1820/7 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 3997 रकबा 0.61 है0 व 4000 रकबा 0.15 है0 कायम किए गए को नवीन नक्शे में आराजी संख्या 3997 रकबा 0.61 है0 मे से 1820/2क मीन रकबा 6 बिस्वा को कम करते हुए रकबा 0.56 है0 व आराजी संख्या 4000 रकबा 0.15 है0 मौके की स्थिति एवं पुराने नक्शे अनुसार 1820/7 की जगह फीट कराया जाए व साबिक आराजी संख्या 1820/2क रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 3995 रकबा 0.19 है0 को उसकी पुरानी स्थिति के अनुसार नवीन नक्शे में आराजी संख्या 4004 रकबा 0.33 है0 के स्थान फिट कराया जाए तथा नवीन आराजी संख्या 4004 रकबा 0.33 है0 बिलानाम को उसी पुरानी स्थिति के अनुसार 1820 मीन की जगह फीट कराया जाए तथा प्रार्थी की शेष 0.07 है0 भूमि को उसकी पुरानी आराजी संख्या 1820/2क मीन रकबा 6 बिस्वा की जगह नवीन नक्शे में आराजी संख्या 4005 रकबा 0.10 है0 गे.मु. रास्ता की जगह फिट किया जाए तथा मिलान क्षैत्रफल में 4005 के साबिक नम्बर 1820/2क मीन रकबा 6 बिस्वा दर्ज करवाया जाकर नवीन नम्बर 4005 रकबा 0.07 है0 किस्म पड़त को राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है जो गलत है प्रार्थी द्वारा भूमि को आबादी में परिवर्तन करायी जिस मौके पर काफी मकान बन चुके है। भूमि आबादी होने से इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नही है। इसी के साथ विपक्षी संख्या 1 के द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें मुख्य रूप से यही अंकन किया कि प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 1820/2क रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा मे से 18 बिस्वा भूमि आबादी में संमपरिवर्तन करा प्लाट काटकर भूमि विक्रय कर दी गई जहां मौके पर मकान बने हुए है। भू प्रबन्ध के दौरान अधिकारियो द्वारा मौके एवं नक्शे के अनुसार ही इन्द्राज किया गया है। प्रार्थी द्वारा साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शे को प्रश्नगत किया है जो न्यायोचित नही है। मौके पर मकानात बन चुके है। जिससे किसी प्रकार का परिवर्तन कराने का अधिकारी नही है। इसी के विपक्षी संख्या 3 के द्वारा जवाब पेश किया गया जो भी शामिल पत्रावली किया गया है। विपक्षी संख्या 2 की ओर से बावजुद सूचना कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें अकंन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने नाम दर्ज आराजी नम्बर 3995 एवं 3997 किता 2 रकबा 0.80 है0 भूमि दर्ज है प्रतिवादी 2 व 3 के नाम आराजी नम्बर 4002, 4003 एवं 3999 दर्ज है प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 3995 रकबा 0.39 है0 भूमि मे से प्रार्थी द्वारा 0.15 है0 भूमि कमला देवी को विक्रय की गई है जिससे 0.15 है0 पर क्रेता एवं शेष पर प्रार्थी [illegible] है। आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:56:32 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बरः–04/2011 (2011/00020) प्रार्थना पत्र

3997 रकबा 0.61 है0 भूमि में प्रार्थी द्वारा भुखण्ड बनाकर विक्रय किये गये है जिनसे मौके पर क्रेतागण के मकान व बाड़े बने हुए है एवं शेष आराजी मौके पर पड़ी हुई है। आराजी नम्बर 4004 रकबा 0.33 है0 भूमि गे.मु. आबादी व आराजी संख्या 4005 रकबा 0.07 है0 भूमि बिलानाम दर्ज है। आराजी नम्बर 4004 रकबा 0.33 है0 मे मकान बने हुए है एवं आराजी नम्बर 4005 रास्ते के उपयोग में आ रही है। आराजी नम्बर 4004 पूर्व में प्रार्थी द्वारा भूखण्ड काटकर बैचान करना अकिंत किया है जिससे क्रेतागणो के मकान बने हुए है। विक्रय से पूर्व उक्त खसरा नम्बर प्रार्थी के कब्जे में था वर्तमान में क्रेतागण का कब्जा है। प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। विक्रयशुदा भूमि क्रेतागणो का कब्जा है। रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड पर एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी के नाम दर्ज साबिक आराजी संख्या 1820/2 एवं 1820/7 दोनो लगती हुई भूमि है जिनके पूर्व की तरफ रास्ता दर्ज है। प्रार्थी के नाम नवीन आराजी संख्या भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जो दर्ज की गई है वो मौक और साबिक रेकार्ड अनुसार ही दर्ज की गई है। और उसी रेकार्ड एवं मौके को सही मानते हुए प्रार्थी द्वारा फर्दन फर्दन भूमि विक्रय की गई है जिस पर क्रेतागण का कब्जा है और शेष भूमि जो प्रार्थी के नाम है उस पर प्रार्थी का कब्जा है और मौक पर क्रेताकण द्वारा मकानात बना रखे है। उस स्थिति को प्रार्थी परिवर्तन कराना चाहता है जो उचित नही है। प्रार्थी के नाम जितना रकबा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उसका फायदा प्रार्थी द्वारा लिया गया है और लिया जा रहा है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956, रेकार्ड एवं मौके के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22-09-2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:56:32 IST
Reason: SelfAttested